झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0सं0–7/बजट–आवंटन–14/2012 241 (7) 'ख' /स्वा0,राँची,दिनांक–26/3/15

प्रेषक,

के0 विद्यासागर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ।
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

विषय: वित्तीय वर्ष 2014–15 के व्यय हेतु मांग संख्या–20 गैर योजना मुख्य शीर्ष 2211– परिवार कल्याण 103– मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य 01 – मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत कुल 1,69,300/– (एक लाख उनहत्तर हजार तीन सौ) रूपये मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2211– परिवारकल्याण के अन्तर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष/ उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन संलग्न On-line विवरणी के अनुसार आवंटन संसूचित किया जाता है:–

कमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उपशीर्ष	आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या–20/2211– परिवार कल्याण	103– मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य	01 मातृ एव शिशु स्वास्थ्य	1,69,300/– (एक लाख उनहत्तर हजार तीन सौ)

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 के मूल बजट उपबंध रूपये 11,07,62,000 (ग्यारह करोड़ सात लाख बासठ हजार) रूपये के अन्तर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) 2 दिनांक 17.04.98 एवं 1800(वि) दिनांक 15.07.2003 के आलोक में होगी।

4. आवंटित राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (संलग्न विवरणी के अनुसार) होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

5. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगें। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे किविपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एव राशि की निकासी के लिए वे स्वंय सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति सलग्न की जायेगी।

6. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष/ उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा साधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

(के0 विद्यासागर)
सरकार के प्रधान सचिव
कृ05030

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है । अधिकाई व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, की होगी।

8. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकारी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

विश्वासभाजन,

(के० विद्यासागर) 26/3/15
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7/बजट–आवंटन–14/2012 241 (7) स्वा0 /स्वा0,राँची,दिनांक– 26/3/15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, / संबंधित उपायुक्त, /निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/ संबंधित सिविल सर्जन,/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(के० विद्यासागर) 26/3/15
सरकार के प्रधान सचिव

आवंटन का सारांश

कमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	वेतन	20N221100103010101	169300	
	कुल आवंटित राशि		1,69,300	

कुलः 1,69,300/– (एक लाख उनहत्तर हजार तीन सौ) रूपये मात्र।

(के० विद्यासागर) 26/3/15
सरकार के प्रधान सचिव

वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष - 2211 . परिवार कल्याण - 103 . मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य - 01 . मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20N221100103010101 वेतन	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Giridih	GRDMED002	Suresh Prasad Sinha	Add. C.M.O. Giridih	₹ 1,69,300.00 (120770)	₹ 1,69,300.00

कुल आवंटित राशि :- ₹ 1,69,300.00 (एक लाख उनहत्तर हजार तीन सौ) **रूपये मात्र।**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

241(7) 'ख'
26/3/2015

26/3/15

(K. VIDYASAGAR)
PRINCIPAL SECRETARY

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

HEALTH DEPARTMENT

चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 7/BT-AL-14/2012/241 (7) B

दिनांक - 26-Mar-20

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 20 221100103010101 2211 . परिवार कल्याण 00 . परिवार कल्याण 103 . मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य 01 . मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य 01 . वेतन एवं भ 01 . वेतन	120770	GRDMED002 SURESH PRASAD SINHA ADD. C.M.O. GIRIDIH	169,300.00 रुपये एक लाख उनहत्तर हजार तीन सौ

योग: 169,300.00

क्रमिक योग: रुपये एक लाख उनहत्तर हजार तीन सौ

(K. VIDYASAGAR)

PRINCIPAL SECRETARY

26/3/15

172.18.20.1

Run Date: 26/3/2015

वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष - 2211 . परिवार कल्याण - 103 . मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य - 01 . मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20N221100103010101 वेतन	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Giridih	GRDMED002	Suresh Prasad Sinha	Add. C.M.O. Giridih	₹ 1,69,300.00 (120770)	₹ 1,69,300.00

कुल आवंटित राशि :- ₹ 1,69,300.00 (एक लाख उनहत्तर हजार तीन सौ) **रूपये मात्र।**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(K. VIDYASAGAR)
PRINCIPAL SECRETARY 26/3/15